कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-24.12.2025

विषय:- थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु 0सं0अ00623/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),208 BNS व 26(d) NDPS ACT व बढोत्तरी धारा 61(2) BNS में संबंधित नफर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर 02 उनके पास से01 अदद चेकबुक,01 अदद मोहर पीडी फार्मा,01 अदद लेटर पैडबुक पीडी फार्मा,120 अदद पीडी फार्मा का हस्ताक्षरयुक्त बिल,01 अदद एटीएम HDFC BANK , 01 अदद लैपटाप एवं 01 अदद मोबाइल फोन बरामदग कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रहा है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी व श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध महोदय के निर्देशन व श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमि0 वाराणसी के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, वांछित अपराधियों, चोर, स्नैचरो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.12.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. विष्णू कुमार पाण्डेय पुत्र संजय कुमार पाण्डेय निवासी सा 8/34-15 तिसरिया परशुराम थाना सारनाथ वाराणसी को दिनांक 27.12.2025 को समय 18.50 बजे सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास से व अभियुक्त 2. लोकेश अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल निवासी मोहिनी कुंज महमूरगंज थाना सिगरा वाराणसी को दिनांक 27.12.2025 को समय 22.00 बजे थाना सारनाथ से नियमानुसार हिरासत पुलिस लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.12.2025 को आवेदक श्री जुनाब अली औषधि निरीक्षक वाराणसी के द्वारा एक किता प्रा0पत्र बावत प्रोपराईटर फर्म मेसर्स पी०डी० फार्मा द्वारा प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरूपयोग कर कोडीनयुक्त औषधियों को बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना खुले बाजार में नशे के प्रयोगार्थ विक्रय करने व छल के प्रयोजन से कूटरचना करने, कूटरचित क्रय-विक्रय बिजको को फर्जी जानते हुए कोडीनयुक्त औषधियो के क्रय-विक्रय हेतु प्रयोग में लाने, लोकसेवक द्वारा अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिये उपस्थित होने के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 623/2025 धारा 318(2),318(4),338,336(3),340(2),208 BNS व 26(d)

NDPS ACT बनाम विष्णू कुमार पाण्डेय पुत्र संजय कुमार पाण्डेय निवासी सा 8/34-15 तिसरिया परशुराम थाना सारनाथ वाराणसी के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 दुर्गेश सिंह को सुपुर्द हुयी। जिसमें श्रीमान् अपर पुलिस आयुक्त महोदय वरूणा जोन व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय सारनाथ के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही कोडिन जुफ्त अभियुक्तो के विरूद्ध चलाते हुये दिनांक 27.12.2025 को थाना हाजा से उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराही उ0नि0 मीनू सिंह, हे0का0 विनीत सिंह, हे0का0 दिलीप यादव, हे0का0 पंकज सिंह, का0 सौरभ तिवारी, का0 कन्हैया खरवार व हस्वबुल तलब श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय मय हमराही के साथ मुकदमा उपरोक्त में आरोपी विष्णू कुमार पाण्डेय पुत्र संजय कुमार पाण्डेय निवासी सा 8/34-15 तिसरिया परशुराम थाना सारनाथ वाराणसी की तलाश में मामूर होकर आरोपी की फोटो से तस्दीक करते हुए आरोपी को सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास से पकडा गया। अपराध के अन्वेषण के क्रम में विस्तृत व गहन पूछताछ के लिए आरोपी को थाना हाजा पर लाया गया। पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम को क्रमवार बताया गया जिसके आधार पर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.लोकेश अग्रवाल 2. शुभम जायसवाल व 3.प्रतीक गुजराती द्वारा योजनाबद्ध तरीके से छल,जालसाजी के उद्देश्य से कूटरटित दस्तावेज तैयार कर कोडीन युक्त सीरप की बिक्री कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अंकित धाराओं के साथ साथ धारा 61(2)BNS का भी अपराध कारित किया गया है जिसके कारण अभियोग में अभियुक्तगण 1. लोकेश अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल निवासी मोहिनी कुंज महमूरगंज (लोकेश फार्मास्यूटिकल) 2.शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद जायसवाल निवासी प्रहलाद घाट वाराणसी (न्यू बृद्धि फार्मा) व 3. प्रतीक गुजराती पुत्र अज्ञात पता शिल्पी फार्मा सप्तसागर दवामण्डी का नाम प्रकाश मे लाते हुए धारा 61(2)BNS की बृद्धि की गयी तथा धारा 318(2) BNS को धारा 319(2)BNS में तरमीम करते हुए अभियुक्त विष्णू कुमार पाण्डेय उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराते हुए समय करीब 18.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। ततपश्चात मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त लोकेश अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल निवासी मोहिनी कुंज महमूरगंज थाना सिगरा वाराणसी (लोकेश फार्मास्यूटिकल) को थाना हाजा पर पूछताछ हेतु तलब किया गया। बाद पूछताछ अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता पाए जाने के कारण अभियुक्त को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराते हुए समय करीब 22.00 बजे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करअभियोग उपरोक्त से संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी हेतु समय करीब 22.25 बजे पुलिस टीम रवाना होकर अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के रिहायशी मकान मोहिनी कुंज कालोनी महमूरगंज व अभियुक्त की दुकान पर पहुंच कर अभियोग से सम्बन्धित साक्ष्य/दस्तावेजों की बरामदगी की गयी जिसका विवरण इस प्रकार है--- 01 अदद चेकबुक,01 अदद मोहर पीडी फार्मा,01 अदद लेटर पैडबुक पीडी फार्मा,120 अदद पीडी फार्मा का हस्ताक्षरयुक्त बिल,01 अदद एटीएम HDFC BANK , 01 अदद लैपटाप एवं 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया तथा अभियुक्तगण से पूछताछ की जी रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1.विष्णू कुमार पाण्डेय पुत्र संजय कुमार पाण्डेय निवासी सा 8/34-15 तिसरिया परशुराम थाना सारनाथ वाराणसी।

2.लोकेश अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल निवासी मोहिनी कुंज महमूरगंज थाना सिगरा वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान-</u>

दिनांक- 27.12.2025 को अभियुक्त विष्णु को समय करीब 18.50 बजे सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास से व अभियुक्त लोकेश अग्रवाल को दिनांक 27.12.2025 को समय करीब 22.00 बजे थाना सारनाथ से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-

अभियुक्त लोकेश अग्रवाल के पास से 01 अदद चेकबुक,01 अदद मोहर पीडी फार्मा,01 अदद लेटर पैडबुक पीडी फार्मा,120 अदद पीडी फार्मा का हस्ताक्षरयुक्त बिल,01 अदद एटीएम HDFC BANK , 01 अदद लैपटाप एवं 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 0623/2025 धारा 318(2),318(4),338,336(3),340(2),208 BNS व 26(d) NDPS ACT व बढोत्तरी धारा 61(2) BNS थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री विदुष सक्सेना श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय सर्किल सारनाथ
2. SO पंकज कुमार त्रिपाठी थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
4. उ0नि0 दुर्गेश सिंह थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
5. उ0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
6. म0उ0नि0 मीनू सिंह थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
7. हे0का0 विनीत सिंह थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
8. हे0का0 दिलीप यादव थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
9. हे0का0 पंकज सिंह थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
10. हे0का0 अमित सिंह थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
11. का0 सौरभ तिवारी साइबर टीम थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
12. का0 कन्हैया खरवार थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी
13. का0 चन्द्रेशखर साइबर थाना कमि0 वाराणसी
14. का0 पंकज कुमार सर्विलांस सेल कमि0 वाराणसी

कोडीन कफ सिरप डाइवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट

अपराध की कार्यप्रणाली (Modus Operandi) :

बांग्लादेश व अन्तर्राज्जीय जनपदो में शराब के विकल्प के रूप में कोडीन युक्त सीरप की तस्करी कर 10 गुना मुनाफा कमाना। इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का उपयोग किया गया, जिसे नीचे दिए गए इन्फोग्राफिक फ्लोचार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है:

मुख्य चरण (Key Steps):

फर्जी फर्मों का गठन (Creation of Shell Firms):आरोपियों ने 'पीडी फार्मा' और 'गनेशू फर्म' जैसी कई कंपनियां खोलीं और डमी संचालक विष्णु कुमार पाण्डेय जैसे लोगों को केवल दस्तावेजों (आधार, पैन, बैंक खातों, फर्जी दस्तावेज आदि) का उपयोग कर मालिक बनाया गया परन्तु असली मालिक लोकेश अग्रवाल व शुभम जायसवाल थे और चेकबुक, एटीएम, लॉगिन आईडी और डिजिटल हस्ताक्षर अपने पास रखते थे। डमी संचालक को इन सब का लाभांस ₹2 लाख/वर्ष मिलता था। कोडीन युक्त कफशीरप शुरुआत में स्थानीय स्टॉकिस्टों व अपनी फर्जी फर्मों से क्रय किया बाद में शुभम जायसवाल ने रांची में 'शैली ट्रेडर्स' नाम से फर्म खोलकर कंपनी (Abbott) से 'सुपर स्टॉकिस्ट' बनकर सीधा माल उठाना शुरू कर दिया तथा माल की बिलिंग जानबूझकर ₹50,000 से कम की जाती थी ताकि ई-वे बिल जनरेट न करना पड़े। इससे माल के परिवहन का कोई सरकारी डिजिटल रिकॉर्ड नहीं बनता था। यह सिंडिकेट न केवल दवाओं की तस्करी कर रहा था, बल्कि मुनाफे को वापस लाने के लिए एक जटिल 'हवाला' और 'गोल्ड' नेटवर्क का उपयोग कर रहा था। जिसमें नशील दवा को नीला और सोने को पीला सांकेतिक करते हुए "नीले से पीला" कोड वर्ड इजाद किया गया। कफ सीरप को होलसेल रेट रु0 100/- प्रति शीशी में खरीद कर , बांग्लादेश व अन्य राज्यो में शीशियों की तस्करी करते हुए रु0 700/- प्रति शीशी पर बेची जाती थी और मुनाफा सोने की के रुप में तस्करी कर पश्चिम बंगाल आता था और सोने को पैसे/करेन्सी में कन्वर्ट कर हवाला ऑपरेटर प्रतीक गुजराती के माध्यम से कोड 10 रुपये या 100 रुपये ,500 रु0 की गड्डी मे 100 की नोट के कोड नम्बर से मैच करवा कर पैसों को एडजस्ट किया जाता था। जांच के क्रम में पाया गया कि पीडी फार्मा में लोकेश द्वारा प्रतीक के माध्यम से करीब 6 करोड से ज्यादा का कैश डिपाजिट कर काले धन को अन्य फर्जी फर्मो के माध्यम से मनी लान्ड्रिंग की गयी।

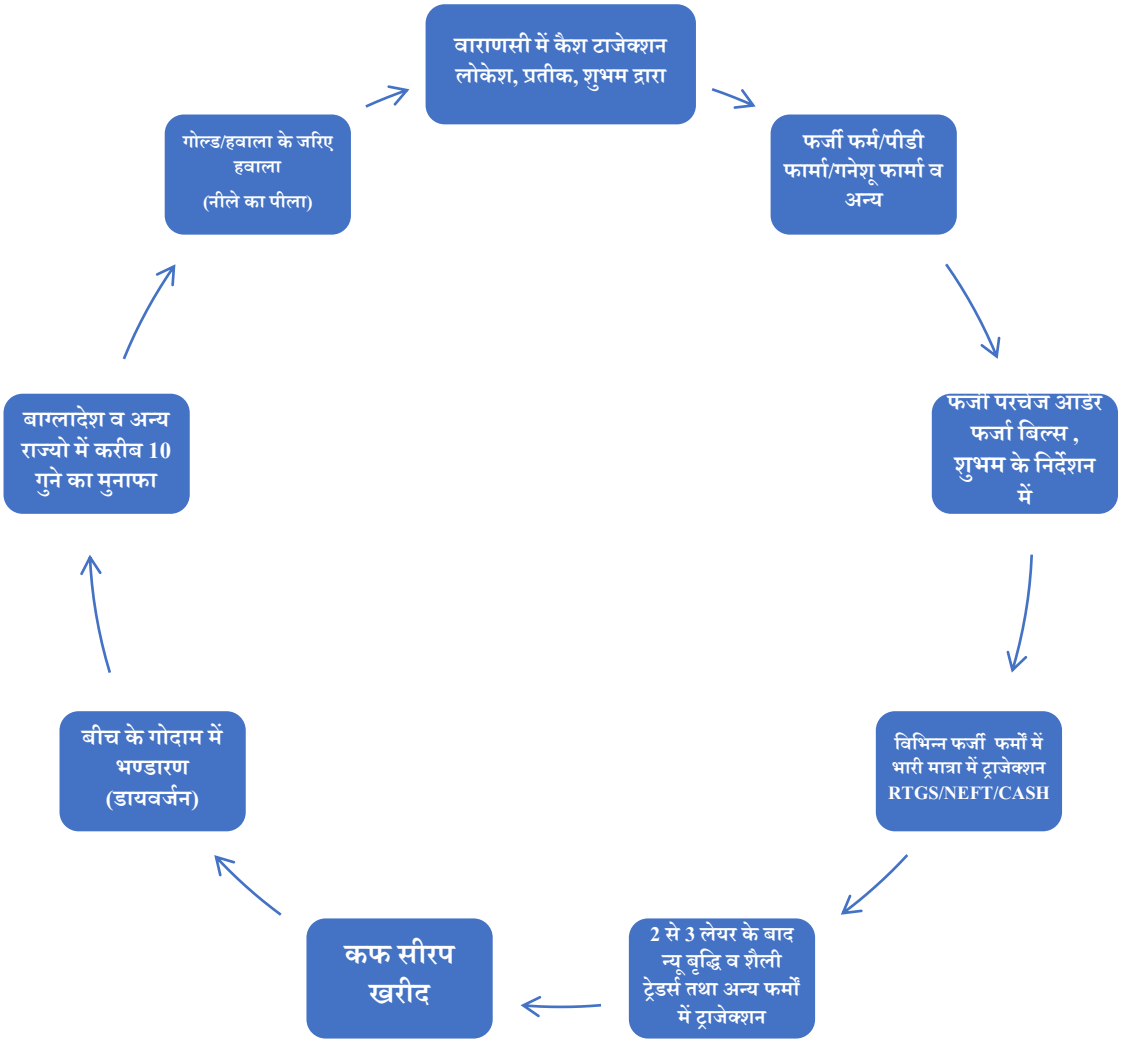
वाराणसी में कैश टाजेक्शन लोकेश, प्रतीक, शुभम द्रारा
फर्जी फर्म/पीडी फार्मा/गनेशू फार्मा व अन्य
फर्जी परचेज आर्डर फर्जा बिल्स , शुभम के निर्देशन में
विभिन्न फर्जी फर्मों में भारी मात्रा में ट्राजेक्शन RTGS/NEFT/CASH
2 से 3 लेयर के बाद न्यू बृद्धि व शैली ट्रेडर्स तथा अन्य फर्मों में ट्राजेक्शन
कफ सीरप खरीद
बीच के गोदाम में भण्डारण (डायवर्जन)
बाग्लादेश व अन्य राज्यो में करीब 10 गुने का मुनाफा
गोल्ड/हवाला के जरिए हवाला
(नीले का पीला)

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी